न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमति शिल्पा सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 33 / 2019 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 07.03.2019	तारीख फैसला 10.08.2021

उनवान

1– सुनील कुमार पिता हेमराज महाजन निवासी कादीसहना व शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1– छीतर पिता घीसा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– सांवला जी महाराज स्थान जरिये पुजारी श्री कन्हैयालाल पुत्र लादूलाल वैष्णव निवासी कादीसहना तहसील शाहपुर जिला भीलवाड़ा
3– तहसीलदार सा. शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गोपाल पुत्र मोती माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोक चंद नौलखा :– अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम बालापुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 282 रकबा 0.72 है. स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता श्री हेमराज जी ने करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी। प्रार्थी के पिता श्री हेमराज जी की मृत्यु हो चुकी है। श्री हेमराज जी की मृत्यु के बाद विरासत से प्रार्थी, उसकी माता व चार बहिनों के नाम आई प्रार्थी की माता व उसकी चारों बहिनों ने प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग कराते हुए उसकी पंजीयन करवाया। उक्त हकत्याग के आधार पर होकर उक्त आराजी प्रार्थी के नाम पर दर्ज हुई। इस तरह उक्त आराजी प्रार्थी व उसके परिजनों के उपयोग उपभोग में करीब 40 वर्षो से चली आ रही है। प्रार्थी की आराजी ग्राम बालापुरा की सरहद पर स्थित है। प्रार्थी की आराजी के दिशा दक्षिण की ओर ग्राम कादीसहना की सीमा शुरू हो जाती है। प्रार्थी अपनी आराजी में उसके आस पास की स्थित आराजियात् में से उनकी सहमति से आता जाता रहा है, पर पड़ौसियान उनकी आराजियात में से निकलने पर आये दिन विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जिससे भविष्य में पड़ौसियान् से अपनी आराजी में आने जाने हेतु विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी अपनी आराजी नं. 282 में कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहता है। प्रार्थी की आराजी के बदिशा पूर्व में ग्राम कादीसहना से रहड़ जाने का रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

राजस्व रेकार्ड में स्थित है। ग्राम बालापुरा में रास्ते के नम्बर 307 रकबा 0.29 है. व ग्राम कादीसहना में इसी रास्ते के नम्बर आराजी नं. 471 रकबा 0.63 है. दर्ज है। उक्त रास्ता बदिशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। उक्त रास्ते से लगा हुआ विपक्षीगण नं. 01 की आराजी नं. 410 रकबा 0.15 है. स्थित है। इस आराजी से लगी हुई विपक्षीगण नं. 02 की आराजी नं. 405 व 408 रकबा क्रमशः 0.51 है. व 0.48 है. स्थित है। प्रार्थी अपनी आराजी में ग्राम कादीसहना से रहड़ के रास्ते से होते हुए आराजी नं. 410, 408 व 405 की उत्तरी मेर से होते हुए विपक्षीगण नं. 04 की आराजी नं. 404 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर अपनी आराजी में कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ता प्राप्त करना चाहता है। उक्त तीनों आराजियात् के बदिशा उत्तर में करीब 10 फिट चौड़ाई के रास्ते की प्रार्थी को आवश्यकता है। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर कृषि उपकरण में फसल भरकर आसानी से आ जा सके। प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु मौजूद नहीं है। प्रार्थी को पैरा नं. 03 में बताये गये रास्ते को प्रार्थी को नहीं दिया गया तो प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त नहीं कर पायेगा। जिससे प्रार्थी नुकसान होगा। प्रार्थी पैरा नं0 03 में बताये अनुसार रास्ते की भूमि की कीमत डीएलसी दर से जमा को तैयार है। विपक्षीगण 02 आराजियात् के बदिशा उत्तर की ओर 10 फिट चौड़ाई आराजी 410 के पूर्वी उत्तरी कोने से आराजी नं. 405 के उत्तरी मेर से होकर विपक्षीगण नं. 04 आराजी नं. 404 के उत्तरी पूर्वी कोने तक की भूमि को विपक्षीगण नं. 01 व 02 की आराजी के रकबे में से कम करते हुए रास्ते की भूमि दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। पैरा 03 में बताये गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड दर्ज हेतु विपक्षीगण नं. 03 को आदेशित कराया जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते पैरा 03 में बताये गये प्रस्तावित विपक्षीगण नं. 01 व 02 की आराजियात् के बदिशा उत्तर की और 10 फीट चौड़ाई आराजी नं. 410 के पूर्वी उत्तरी कोने से आराजी नं. 405 के उत्तरी मेर से आराजी नं. 404 के उत्तरी पूर्वी कोने तक भूमि को कम करते हुए रास्ते की भूमि का डीएलसी दर से राशि जमा कराने का आदेश करते हुए राजस्व नक्शे व जमाबंदी में भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज किये जाने हेतु विपक्षीगण नं. 03 को आदेश बक्षावें।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.09.2019 को विपक्षीगण सं0 01 व 02 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी गयी। प्रकरण जवाब पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 24.09.2019 को प्रकरण तहसील शाहपुरा से मौका रिपोर्ट के नियत किया गया। दिनांक 18.01.2021 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से उनके पत्रांक 31 दिनांक 12.01. 2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी सं0 404 में से भी रास्ता दर्शाया गया है अतः प्रार्थना पत्र अनुसार प्रस्ताव तैयार करा भिजवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। दिनांक 25.01.2021 को तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार आराजी नम्बर 404 में से भी रास्ते हेतु भूमि की आवश्यकता होगी अंकित किया गया। दिनांक 29.01.2021 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया जिस पर सुना गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र मय विपक्षी सं 04 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 03.02.2021 को विपक्षी सं0 4 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। तहसीलदार शाहपुरा को संशोधन

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रार्थना पत्र अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार करा भिजवाने हेतु लिखा गया। दिनांक 03.08.2021 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/492 दिनांक 29.07.2021 से डीएलसी रिपोर्ट एवं भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 10.08.2021 को प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाष प्रार्थी की सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु आराजी नम्बर 405, 408, 410 एवं 404 से रास्ते की आवश्यकता है। जिसके संबंध में तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावे प्रार्थी डीएलसी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर रास्ते आदेश करते हुए राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश बक्षावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपने खेत तथा आराजी नम्बर 471 गेमु रास्ता कादीसहना से बालापुरा रास्ते से आने हेतु आराजी नम्बर 410, 408 व 405 की उत्तरी मेड़ से 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहता है। एवं आराजी नम्बर 404 में से 4 मीटर चौड़ा व 4 मीटर लम्बर रास्ता लिया जाना जरूरी है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 282 पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुतम रास्ता भी यही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

अतः भू0अ0निरीक्षक मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार शाहपुरा से भूमि की डीएलसी अनुसार मालियत के संबध में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रकबा वर्ग फीट में	रकबा है0 में	डीएलसी अनुसार भूमि की मालियत को रास्ते हेतु दुगना करने पर राशि
1.	श्री सांवला जी स्थानदेह पुजारी कन्हैयालाल वैष्णव निवासी कादीसहना	405	0.51	233 × 10	2330	0.0204	16760/–
2.	श्री सांवला जी स्थानदेह पुजारी कन्हैयालाल वैष्णव निवासी कादीसहना	408	0.48	157.4 × 10	1574	0.0144	11830/–
3.	छीतर पिता घीसा माली निवासी कादीसहना	410	0.15	190.24 × 10	1902.4	0.0177	14540/–
4.	गोपाललाल पिता मोती माली निवासी कादीसहना	404	0.45	20 × 10	200	0.0024	1972/–
	अक्षरे पैंतालिस हजार एक सो दो रूपये						45102/–

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कादीसहना प0म0 कादीसहना तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 282 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 की आराजी सं0 410 रकबा 0.15 है0 में से 190.24 फीट लम्बा × 10 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0177 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि **14540/– रूपये** बनती है, एवं विपक्षी सं0 2 की आरजी सं0 405 रकबा 0.51 है0 में से 233 × 10 चौड़ा रास्ता हेतु 0.0204 है0 भूमि की आवश्यता होगी जिसकी डी0एल0सी0 दर से दुगनी राशि **16780/– रूपये** बनती है एवं 408 रकबा 0.48 है0 में से 157.4 × 10 चौड़ा रास्ता हेतु 0.0144 है0 भूमि की आवश्यता होगी जिसकी डी0एल0सी0 दर से दुगनी राशि **11830/– रूपये** बनती है एवं विपक्षी सं0 4 की आरजी सं0 404 रकबा 0.45 है0 में से 20 × 10 चौड़ा रास्ता हेतु 0.0024 है0 भूमि की आवश्यता होगी जिसकी डी0एल0सी0 दर से दुगनी राशि **1972/– रूपये** बनती है इस प्रकार कुल राशि **45102/– रूपये अक्षरे पैंतालिस हजार एक सो दो रूपय** उक्त सूची अनुसार संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.08.2021 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

नक्शा नजरी

ग्राम - मारीकटना

प.ह. मारीकटना

तह. शाहपुरा

पैमाना

1cm = 40m.

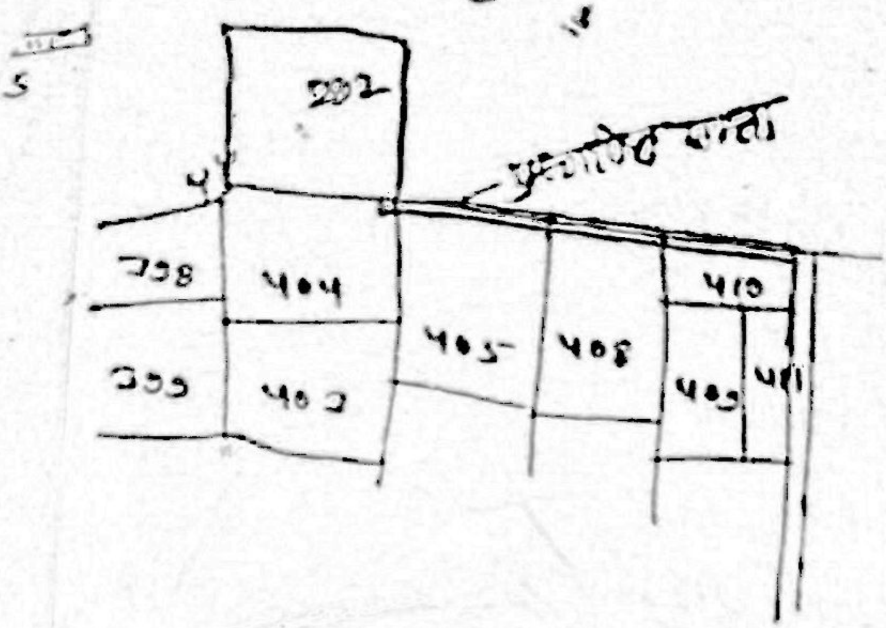

15/07/2024

प. - मारीकटना

(कृषि...)